कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com Phone/Fax-0135-2627612

पत्रांक- 7561 / 12-1 देहरादून, दिनांक- 12 / 06 / 2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक (तक0)
परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–वसन्त विहार देहरादून।

विषय :– **उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी0 0.050 से किमी 12.220 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।**
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/140350/2021)

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 67 / 2023 / एफ0सी0, दिनांक–23.05.2025 एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–2878 / 12–1, दिनांक 29.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त पत्र में उल्लिखित शर्त सं0–1(क) / ख–3, 2(क) एवं 7 के अनुपालन में Compensatory Levies Details निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मद	भौतिक	दर	देय धनराशि (रू0)
1	**शर्त सं0–1(क) / ख–3 के अनुसार** प्रतिपूरक वनीकरण कार्य एवं उसका दस वर्षों तक अनुरक्षण कार्य (प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–क–1191 / 3–5–2(FC) दिनांक 26.03.2025 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित दर के अनुसार)	41.00 है0	₹ 5,43,037.00 प्रति है0	₹ 2,22,64,517.00
2	**शर्त सं0–2(क) के अनुसार** एन0पी0वी0 (इको श्रेणी–I, घनत्व–Dense Forest)	20.0849 है0	₹ 14,36,670.00 प्रति है0	₹ 2,88,55,374.00
3	**शर्त सं0–7 के अनुसार** i. वन्यजीव प्रबन्धन योजना	As per plan		₹ 2,79,64,000.00
	ii. मृदा एवं जल संरक्षण योजना	As per plan		₹ 77,10,200.00
	कुल योग			**₹ 8,67,94,091.00**
				रू0 आठ करोड़ सड़सठ लाख चौरानबे हजार इक्यानबे मात्र

इसके अतिरिक्त आर0ई0सी0 की बैठक दिनांक 27.02.2025 के क्रम में भारत सरकार को प्रस्तावित मोटर मार्ग एवं आबादी के बीच के वन क्षेत्र को भविष्य में अतिक्रमण से बचाने हेतु रू0 422.11 लाख धनराशि की दीवार निर्माण की योजना उपलब्ध करायी गयी है, जिस हेतु आवश्यक धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया है। किन्तु यह शर्त भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित नहीं की गयी है। उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–7405 / 12–1, दिनांक 02.06.2025 के द्वारा नोडल कार्यालय से दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो कि अध्यावधि तक प्रतीक्षित है। अतः Wall Fencing के लिए आवश्यक धनराशि जमा कराये जाने हेतु डिमाण्ड पृथक से प्रेषित की जायेगी।

क्रमशः 2

अतः उपरोक्त धनराशि का भुगतान उच्च स्तर से सत्यापित हो जाने के उपरान्त ई–पोर्टल (https://Parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) फंड में जमा करना सुनिश्चित करें एवं प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें एवं परिपूर्ण अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में संगत दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

पत्रांक :–7561/12–1 तददिनांकित

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त डिमान्ड नोट को सत्यापित करने की कृपा करें।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्त्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी को इस आशय से प्रेषित है कि उक्तानुसार ₹ 5,43,037.00 प्रति है0 के आधार पर पुनरीक्षित प्रतिपूरक वनीकरण योजना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून